... म.प्र. ग्वालियर कैम्प उज्जैन म.प्र.

प्रकरण क्रमांक- ...... / 2013 निगरानी Restn (32) (26)

(32)

रेस्टो/238/एक/14

नटराज गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या० उज्जैन द्वारा अध्यक्ष दीनेश पिता भागीरथ जी यादव नि० विकास चौराहा उज्जैन म० प्र०
—— निगरानीकर्ता

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा जिला पंजीयक एंव कलेक्टर स्टाम्प्स जिला उज्जैन म.प्र. ——रिस्पाण्डेट

391
9/12/13

प्रकरण रेस्टोर हुई स्थिति में लाने बावत् ।

माननीय महोदय,

उपरोक्त प्रकरण में निगरानीकर्ता आवेदक की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है :-

1. यह कि प्रकरण में प्रारम्भिक सुनवाई हेतु दिनांक 27-7-2013 नियत था जो इस तारीख को प्रकरण मोशनहियरिंग हेतु दिनांक 31-7-2013 बढ़ाया गया था । अभिभाषक ने दिनांक 31-7-2013 को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर मोशन हियरिंग में बहस की थी । बहस उपरान्त अभि अभिभाषक अन्य न्यायालयीन कार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में आगामी तारीख नोट नहीं कर सके और प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त हो गया है ।

2. यह कि प्रकरण के अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी श्री टी. आर. गुप्ता एडवोकेट ग्वालियर से टेलीफोन से दिनांक 8-12-2013 को हुई है ।

3. यह कि मेरे अभिभाषक द्वारा उक्त त्रुटि सद्भावना पर आधारित है और यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभिभाषक की त्रुटि की वजह से पक्षकार हानि सहन न करे ।

अतः प्रार्थना है कि अभिभाषक की त्रुटि को क्षमा कर प्रकरण रेस्टोर किए जाने हेतु आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें ।

इति दिनांक 9-12-2013

प्रार्थी

दीनेश अध्यक्ष नटराज गृह निर्माण सह. संस्था

... द्वारा अभिभाषक एम. एल. माथुर एड. उज्जैन

)BR(H)-11

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

क्रमांक रेस्टोरेशन 238—एक/14 | जिला — उज्जैन

तथा ...क	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3—4—14	प्रकरण का अवलोकन किया । विचारोपरांत आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुर्नस्थापन आवेदन स्वीकार करते हुए मूल प्रकरण क्रमांक निग 450—पीबीआर/13 पुर्नस्थापित किये जाने के आदेश दिए जाते हैं । यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	